BIS मार्क अनिवार्य नहीं, तो जाँच कैसे? पैकेटबंद पेयजल की नई परीक्षण व्यवस्था

प्रकाशन: 26 नवंबर 2026

पृष्ठभूमि अध्ययन: यह नया समाचार नहीं है; नीचे मूल दस्तावेज़ की वास्तविक तारीख दी गई है।

समाचार-संदर्भ: 17 दिसंबर 2025 (FSSAI परामर्श); परीक्षण योजना 1 जनवरी 2026 से प्रभावी

प्रकाशन तारीख: 26 नवंबर 2026

परीक्षा उपयोगिता: BIS और FSSAI के अधिकार क्षेत्र का अंतर प्रिलिम्स का प्रिय सवाल है; योजना की तारीखें और परीक्षण आवृत्ति याद रखिए

प्रिलिम्स: राष्ट्रीय संस्थाएँ, खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता मामले

मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन II (स्वास्थ्य, नियामकीय संस्थाएँ) और सामान्य अध्ययन III (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग)



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

बोतलबंद पानी से अनिवार्य BIS चिह्न हटने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि अब उसकी कोई जाँच नहीं होगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने **17 दिसंबर 2025** के परामर्श के साथ पैकेटबंद पेयजल (Packaged Drinking Water, PDW) और मिनरल वाटर (Mineral Water, MW) के लिए विस्तृत **परीक्षण योजना (Scheme of Testing)** तय की है, जिसका पालन **1 जनवरी 2026** से सभी खाद्य कारोबारियों (FBO) के लिए अनिवार्य है।

खबरों में क्यों

- **17 अक्टूबर 2024:** खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर निषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 में संशोधन अधिसूचित हुआ, जिससे PDW और MW के लिए अनिवार्य BIS प्रमाणन चिह्न का प्रावधान समाप्त हुआ।

- **17 दिसंबर 2025:** FSSAI ने परामर्श (फ़ाइल संख्या RCD-15001/19/2025-Regulatory-FSSAI) जारी कर परीक्षण योजना का अनुपालन सभी FBO के लिए **1 जनवरी 2026** से अनिवार्य किया। परामर्श पर कार्यकारी निदेशक (अनुपालन रणनीति) डॉ. सत्येन कुमार पांडा ने हस्ताक्षर किए हैं।

पहले यह भ्रम दूर कीजिए: अनिवार्य BIS चिह्न हटना गुणवत्ता जाँच की समाप्ति नहीं है। पैकेटबंद पेयजल FSSAI के लाइसेंस और मानकों के दायरे में ही रहता है; बदलाव केवल BIS के दोहरे अनिवार्य प्रमाणन को हटाने का है। अब नियमितता की ज़िम्मेदारी परीक्षण योजना उठाती है: कौन-सा परीक्षण, कितनी बार, किस प्रयोगशाला से और किस रिकॉर्ड के साथ, यह सब लिखित रूप में तय है।

परीक्षण योजना क्या कहती है

- **दायरा:** कारखाने का संपूर्ण उत्पादन योजना के दायरे में होगा और पूरा उत्पादन खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची IV के अनुरूप होगा।
- **रिकॉर्ड:** प्रत्येक परीक्षण के रिकॉर्ड सुरक्षित रखने होंगे; जोड़े गए खनिजों के बैचवार उपयोग के रिकॉर्ड, चालान और परीक्षण प्रमाणपत्र भी रखने होंगे।
- **मानक:** पैकेटबंद पेयजल के लिए FSSR 2.10.8 और मिनरल वाटर के लिए FSSR 2.10.7 (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्य विनियम, 2011)।
- **प्रयोगशाला:** सभी निर्धारित परीक्षण FSSAI-अधिसूचित, NABL मान्यता प्राप्त (ISO/IEC 17025) प्रयोगशालाओं से कराए जाएँगे।

कौन-सा परीक्षण कितनी बार

परीक्षण समूह	प्रमुख मापदंड	आवृत्ति
सूक्ष्मजैविक	कॉलीफ़ॉर्म; फ़ीकल स्ट्रेप्टोकॉकी और स्टेफ़िलोकोकस ऑरियस; सल्फ़ाइट रिड्यूसिंग एनारोब्स; स्यूडोमोनास एरुजिनोसा; एरोबिक माइक्रोबियल काउंट; यीस्ट और मोल्ड; साल्मोनेला और शिगेला; विब्रियो कॉलेरी और वी. पैराहीमोलाइटिकस	माह में एक बार
रासायनिक और अवांछनीय पदार्थ	बेरियम, कॉपर, आयरन, मैंगनीज़, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ज़िंक, एलुमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फ़िनोलिक यौगिक, मिनरल ऑयल, एनायनिक सर्फ़ेक्टेंट, सल्फ़ाइड, एंटिमनी, बोरेट	तीन माह में एक बार
कीटनाशक अवशेष	प्रत्येक कीटनाशक अलग से और कुल कीटनाशक अवशेष	छह माह में एक बार
मानक के सभी मापदंड	FSSR 2.10.8 के सभी परिभाषित मापदंड (लाइसेंसिंग विनियम की शर्त 12 के अनुरूप)	छह माह में एक बार

अनुपालन न हो, तो क्या होगा

- **सूक्ष्मजैविक विफलता:** स्टॉक के नमूने की दोबारा जाँच होगी और बाज़ार में उतारने से पहले अनुरूपता सुनिश्चित होगी। कारोबारी को संदूषण के कारणों की पूरी जाँच कर सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी; लगातार **5 बैचों** के संतोषजनक परिणाम आने के बाद ही उत्पादन और डिस्पैच फिर शुरू होगा। ऐसे हर उदाहरण का पूरा रिकॉर्ड कम से कम **5 वर्ष** तक FSSAI की समीक्षा के लिए रखना होगा।
- **छमाही रिपोर्ट में विफलता:** उस मापदंड की परीक्षण आवृत्ति मासिक कर दी जाएगी, जब तक लगातार **3 बैच** पास न हो जाएँ।

- **लगातार छमाही विफलता:** संयंत्र FSSAI के जोखिम आधारित निरीक्षण के दायरे में आएगा।
- **रेडियोधर्मी अवशेष:** कच्चे जल के स्रोत को तुरंत त्यागना होगा, उत्पाद तुरंत वापस बुलाना होगा और खाद्य प्राधिकरण को तुरंत सूचित करना होगा।

स्रोत जल और पैकेजिंग पर भी नियम

- **स्रोत जल:** उत्पादन में इस्तेमाल से पहले स्रोत जल के सभी मापदंडों की जाँच अनिवार्य है; स्रोत बदलने या नया स्रोत जुड़ने पर भी पूरी जाँच के बाद ही नियमित उत्पादन होगा।
- **पुनः खनिजीकरण:** उपचार में खनिज दोबारा मिलाए जाएँ तो सामग्री फ़ूड ग्रेड या फ़ार्मा ग्रेड होगी और उसके परीक्षण प्रमाणपत्र FSSAI को दिए जाएँगे; कीटाणुरहित करने का तरीका घोषित करना होगा।
- **दोबारा इस्तेमाल के कंटेनर:** केवल 5 लीटर या अधिक क्षमता के प्लास्टिक कंटेनर और काँच की बोतलें, जो मज़बूत हों और साफ़ या कीटाणुरहित करने योग्य हों।
- **पैकेजिंग सामग्री:** प्लास्टिक बोतलें, पाउच, काँच की बोतलें, कागज़ आधारित कार्टन और एलुमिनियम केन के लिए पैकेजिंग विनियम, 2018 के तहत निर्धारित नियंत्रण स्तर (अधिकतर परीक्षण छह माह में एक बार)।

परीक्षा की दृष्टि से महत्व

- **संस्था:** FSSAI का गठन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत हुआ और यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है।
- **अधिकार क्षेत्र:** BIS (गुणवत्ता प्रमाणन) और FSSAI (खाद्य सुरक्षा) के कार्यक्षेत्र का अंतर प्रिलिम्स में बार बार पूछा गया है; यह मामला उसी अंतर का ताज़ा उदाहरण है।
- **तीन तारीखें:** अनिवार्य BIS हटा 17 अक्टूबर 2024; परीक्षण योजना का परामर्श 17 दिसंबर 2025; योजना प्रभावी 1 जनवरी 2026।

स्रोत

1. FSSAI परामर्श, 17 दिसंबर 2025: पैकेटबंद पेयजल और मिनरल वाटर की परीक्षण योजना (Scheme of Testing सहित)

टिप्पणी: योजना का पूरा विवरण (नियंत्रण स्तर, प्रपत्र और नोट) इसी परामर्श के अनुलग्नक में है।

प्रिलिम्स परीक्षा: अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1: पैकेटबंद पेयजल के नियमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: पैकेटबंद पेयजल और मिनरल वाटर के लिए अनिवार्य BIS प्रमाणन चिह्न का प्रावधान 17 अक्टूबर 2024 की अधिसूचना से समाप्त हुआ

कथन 2: FSSAI की परीक्षण योजना पैकेटबंद पेयजल और मिनरल वाटर दोनों पर लागू होती है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों

कथन 1 सही है: FSSAI ने 17 अक्टूबर 2024 की अधिसूचना से विक्रय पर निषेध और प्रतिबंध विनियम, 2011 में अनिवार्य BIS प्रमाणन का प्रावधान हटाया।

कथन 2 सही है: 17 दिसंबर 2025 के परामर्श के साथ बनी परीक्षण योजना पैकेटबंद पेयजल (FSSR 2.10.8) और मिनरल वाटर (FSSR 2.10.7) दोनों को शामिल करती है और 1 जनवरी 2026 से सभी खाद्य कारोबारियों पर अनिवार्य है।

प्रश्न 2: FSSAI की परीक्षण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: इसमें सूक्ष्मजैविक मापदंडों का परीक्षण माह में एक बार निर्धारित है

कथन 2: इसमें कीटनाशक अवशेषों का परीक्षण हर तीन माह में करना होता है

कथन 3: निर्धारित परीक्षण FSSAI-अधिसूचित NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से कराए जाते हैं

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b) केवल 1 और 3

कथन 1 सही है: कॉलीफ़ॉर्म, स्यूडोमोनास एरुजिनोसा, साल्मोनेला और शिगेला समेत सभी सूक्ष्मजैविक मापदंडों का परीक्षण माह में एक बार निर्धारित है।

कथन 2 गलत है: कीटनाशक अवशेषों (अलग-अलग और कुल) का परीक्षण छह माह में एक बार है; तीन माह की आवृत्ति रासायनिक और अवांछनीय पदार्थों की है।

कथन 3 सही है: योजना के सभी निर्धारित परीक्षण FSSAI-अधिसूचित NABL मान्यता प्राप्त (ISO/IEC 17025) प्रयोगशालाओं से कराए जाते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

▼ क्या अब पैकेटबंद पेयजल पर BIS चिह्न लगाना ज़रूरी है?

नहीं। 17 अक्टूबर 2024 की अधिसूचना से PDW और MW के लिए अनिवार्य BIS प्रमाणन चिह्न का प्रावधान समाप्त हो गया। लेकिन FSSAI का लाइसेंस, FSSR के मानक और 1 जनवरी 2026 से प्रभावी परीक्षण योजना पूरी तरह लागू रहती है।

▼ परीक्षण योजना कब से प्रभावी हुई और किन पर लागू है?

योजना 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है और सभी खाद्य कारोबारियों (FBO) पर अनिवार्य है। यह पैकेटबंद पेयजल और मिनरल वाटर दोनों को शामिल करती है।

▼ जाँच कौन कराता है और निगरानी कौन करता है?

परीक्षण कराने की ज़िम्मेदारी कारोबारी की है, पर सभी निर्धारित परीक्षण FSSAI-अधिसूचित NABL मान्य प्रयोगशालाओं से होते हैं। रिकॉर्ड FSSAI की समीक्षा और निरीक्षण के लिए रखना अनिवार्य है; लगातार विफलता पर जोखिम आधारित निरीक्षण होता है।